निर्वाचन अत्यावश्यक

समाहरणालय, सिवान
(जिला निर्वाचन, शाखा)

दूरभाष सं0 06154–242120
ई–मेल dyeo_siwan@yahoo.com

–: आदेश :–

भारत निर्वाचन आयोग को प्रेस नोट संख्या– ECI/PN/64/2020, दिनांक 25.09.2020 द्वारा बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 के लिए मतदान की तिथि निर्धारित की गई है। निर्वाचन विभाग, बिहार पटना के ज्ञापांक–3556, दिनांक 28.09.2020 के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या–3/एच0–1/2019/2019 समा0प्र0–9179 पटना, दिनांक 05.10.2020 द्वारा राज्य सरकार द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135(ख) में निहित प्रावधानों तथा एन0आई0एक्ट, 1881 की धारा 25 के स्पष्टीकरण के आलोक में मतदान की तिथियों को सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।

उक्त आलोक में सिवान जिला के सभी 08(आठ) विधान सभा क्षेत्रों के लिए मतदान की निर्धारित तिथि 03.11.2020(द्वितीय चरण) के दिन के सवैतनिक अवकाश रहेगा। इसके अन्तर्गत किसी कारबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा।

ह0/

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, सिवान

ज्ञापांक 1668 दिनांक 18-10-2020

प्रतिलिपिः– सभी विभागों के कार्यालय प्रधान, सिवान जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी निर्वाची पदाधिकारी, सिवान जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सिवान जिला को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है, कि इसे जिला के वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

18/10/2020

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, सिवान।